बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 357582   पटना, दिनांक 05.03.2018

ग्रा.वि.07(आ0)-02/2017

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)" के अन्तर्गत कुल 3775.00 लाख (सैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति ।**

आदेश:- **स्वीकृत ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)" प्रारंभ किया गया है । मिशन का उद्देश्य सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में 'रूर्बन क्लस्टर' नामक 300 ऐसे ग्रामीण विकास क्लस्टर तैयार करना है, जिनमें विकास की अधिक संभावनाएं हैं और जिनसे क्षेत्र में समग्र विकास को बढावा मिले । आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल एवं स्थानीय उदयमशीलता को विकसित करके तथा अवसंरचना संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराके इन क्लस्टरों का विकास किया जायेगा ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए 20 उप जिला का चयन किया गया है । इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त 20 उप जिला में से प्रथम चरण में 4 उप जिलों सम्पतचक (पटना), मानपुर (गया), कोचस (रोहतास) एवं सोनवर्षा (सहरसा) के अन्तर्गत चार क्लस्टर एवं द्वितीय चरण में तीन उप जिला 1. श्रीनगर (पूर्णिया) 2. बेतिया (पश्चिम चम्पारण) 3. शिवाजी नगर (समस्तीपुर) का चयन किया गया है ।

3. यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है । इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में चयनित क्लस्टर यथा 1. बैरिया (जिला- पटना, उप जिला- सम्पतचक) 2. नौरंगा (जिला- गया, उप जिला- मानपुर) 3. कुचिला (जिला- रोहतास, उप जिला- कोचस) 4. सोनबरसा (जिला- सहरसा, उप जिला- सोनबरसा) हेतु प्रथम किस्त के रूप में 2160.00 लाख (इक्कीस करोड़ साठ लाख) रूपये एवं द्वितीय चरण में चयनित तीन क्लस्टर यथा 1. खोखा (जिला- पूर्णिया, उप जिला- श्रीनगर) 2. बरबतपासरेन (जिला- पश्चिम चम्पारण, उप जिला- बेतिया) 3. करियन (जिला- समस्तीपुर, उप जिला- शिवाजी नगर) के **ICAP** के निर्माण हेतु 105.00 लाख (एक करोड़ पॉच लाख) रूपये अर्थात कुल 2265.00 लाख (बाइस करोड पैसठ लाख) रूपये विमुक्त किया गया है ।

4. केन्द्र प्रायोजित योजना "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)" के अन्तर्गत स्वीकृत राशि 3775.00 लाख (सैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की निकासी विभागीय मांग संख्या 42 के निम्नांकित बजट शीर्षो के अन्तर्गत की जायेगी -

(A) **केन्द्रांश -** योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0218- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, विपत्र कोड 42-2515001020218 -

विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य - 2160.00 लाख रूपये
विषय शीर्ष 28 02 संविदा सेवायें - 105.00 लाख रूपये
कुल - 2265.00 लाख (बाईस करोड़ पैसठ लाख) रूपये

(B) राज्यांश - योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0318- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, विपत्र कोड 42-2515001020318 -

विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य - 1440.00 लाख रूपये
विषय शीर्ष 28 02 संविदा सेवायें - 70.00 लाख रूपये
कुल - 1510.00 लाख (पन्द्रह करोड़ दस लाख) रूपये

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी करते हुए योजना के कार्यान्वयन के लिए उक्त राशि BRDS (SHYAMA PRASAD MUKHERJI RURBAN MISSION) CENTRAL BANK OF INDIA, BUDH MARG (NEAR G.P.O), IFSC Code CBIN0281488 में धारित Account no.- 3519126311 के नाम से बैंक ड्राफ्ट बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । बैंक खाते का संचालन बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

7. क्लस्टरों में राशि का व्यय हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा, तदोपरान्त ही राशि व्यय की जा सकेगी ।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है । राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी ।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ 10.../टि. पर प्राप्त है ।

28.2.18

(राजेश परिमल)

उप सचिव

ज्ञापांक 357582 पटना, दिनांक 05.03.2018

ग्रा.वि.07(आं0)-02/2017

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग / योजना एवं विकास विभाग / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा 10 एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.2.18

उप सचिव